न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 37/2015

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा आयु-62 वर्ष निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर		1. देवा पुत्र हेमा 2. सोकीन पुत्र हेमा 3. सायरी बेवा हेमा 4. छोटी बेवा अजीमा 5. साबु पुत्र मिसरू 6. राधा पत्नि मिसरू 7. भंवरू पुत्र सुबान 8. सुल्तान पुत्र सुबान 9. नैनू पुत्र सुबान 10. नजीर पुत्र नसीबा 11. भीमा पुत्र नसीबा 12. गुलाब पुत्र नसीबा 13. सुल्तान पुत्र करणा जातियान-मेहरात, निवासी-भीवगढ़ तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.) 14. साबुड़ी बेवा कूका जाति-मेहरात,निवासी-थल का बाड़िया, तहसील-मसूदा जिला-अजमेर (राजस्थान) 15. रामगोपाल इन्डस्ट्री प्रा.लि. जयपुर 16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जैतारण तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.30.03.2015**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 03/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लान्ट बांगड सीमेन्ट के नाम सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण में स्थापित, कार्यरत एवं उत्पादनरत हैं। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं, जिससे वाद पेश करने का कम्पनी का अधिकार पत्र वाद के साथ पेश किया हैं, जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2108 रकबा 2-14 बीघा किस्म सेवज अव्वल की आई हुई हैं। जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादी कम्पनी 19/36 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। वादी कम्पनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग-अलग बंटी हुई हैं व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैं व वादी खसरा नम्बर 2108 रकबा 2-14 बीघा किस्म सेवज अव्वल भूमि में 19/36 हिस्से की भूमि यानि रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व वादी का अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नहीं हैं तथा विवादित आराजी को वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की प्रति वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी कम्पनी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2108 रकबा 2-14 बीघा किस्म सेवज अव्वल भूमि में 19/36 हिस्से की भूमि यानि रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम रखने का तकासमा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 08/03/15 को मना कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं हैं व वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 16 तहसीलदार, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिग या फौत होने की दशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिए संशोधन करने का अधिकार रहेगा। बिनायदावा दिनांक 08/03/15 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर व वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-भीवगढ़ (ग्रेस) तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत वालो के हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 को बावजूद सूचना / तामिली बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

से इनके विरूद्ध दिनांक 28/04/2015 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 महावीर चौपड़ा का तरदीक सुदा शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हो। मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र का करवाया गया तथा दस्तावेजात Exp-1 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 को प्रदर्शित करवाया गया। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से बन्द की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - रास पर व्यक्त किया कि वादी स्वयं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वयं खातेदार व काबिज काश्तकार हैं तथा बंटवाड़ा किये जाने के अधिकारी हैं। उपस्थित लैण्ड होल्डर तहसीलदार, जैतारण को बंटवाड़ा हेतु अधिकृत किया गया तथा उनके द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्रस्तुत की हैं, सा0मि0 किया गया। वकील मय वादी ने अंतिम बहस में माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/2015 वाद डिक्री किया जाकर उक्तानुसार बंटवाड़ा किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा वादी का वाद माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/15 के डिक्री किया जाना तथा बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 03/07/15 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2108 रकबा 2-14 बीघा किस्म सेवज अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा निवास - हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2108	1-08-00	से0अ0	1.45 रू.
2	देवा सौकीन पि0 हेमा सायरी पत्नि हेमा छोटी बेवा अजीमा साबु पुत्र मिसरू राधा पत्नि मिसरू भंवरू सुल्तान नेनू कुका पि0 सुबान नजीर भीमा गुलाब पि0 नसीबा सुल्तान पुत्र करणा कौम-मेहरात सा0 देह। रामगोपाल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पता 10ए अमरविजय कॉम्पलेक्स हॉटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड जयपुर अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर चौपड़ा पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा खातेदार।	2108/1	1-06-00	से0अ0	1.30 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर दीखल्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा आयु–62 वर्ष निवास हाल–महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा–बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.–मसूदा जिला–अजमेर

1. देवा पुत्र हेमा
2. सोकीन पुत्र हेमा
3. सायरी बेवा हेमा
4. छोटी बेवा अजीमा
5. सावु पुत्र मिसरू
6. राधा पत्नि मिसरू
7. भंवरू पुत्र सुवान
8. सुल्तान पुत्र सुवान
9. नैनू पुत्र सुवान
10. नजीर पुत्र नसीबा
11. भीमा पुत्र नसीबा
12. गुलाव पुत्र नसीबा
13. सुल्तान पुत्र करणा
    जातियान–मेहरात, निवासी–भीवगढ़ तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)
14. साबुड़ी बेवा कूका
    जाति–मेहरात,निवासी–थल का वाड़िया, तहसील–मसूदा जिला–अजमेर (राजस्थान)
15. रामगोपाल इन्डस्ट्री प्रा.लि. जयपुर
16. राजस्थान सरकार जरिए
    तहसीलदार, जैतारण
    तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

मु0न0 :रा0वा0 स0:37/2015

<u>राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूवरू ....–....... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 03/07/15 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–भीवगढ़, पटवार हल्का–रास–द्वितीय, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2108 रकबा 2–14 बीघा किस्म सेवज अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा विस्वा विस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा निवास – हाल–महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा–बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.–मसूदा जिला–अजमेर खातेदार।	2108	1-08-00	से0अ0	1.45 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

2	देवा सौकीन पि0 हेमा सायरी पत्नि हेमा छोटी बेवा अजीमा साबु पुत्र मिसरू राधा पत्नि मिसरू भंवरू सुल्तान नेनू कुका पि0 सुबान नजीर भीमा गुलाब पि0 नसीबा सुल्तान पुत्र करणा कौम-मेहरात सा0 देह। रामगोपाल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पता 10ए अमरविजय कॉम्पलेक्स हॉटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड़ जयपुर अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर चौपड़ा पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा खातेदार।	2108/1	1-06-00	से0अ0	1.30 रु.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	—	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	6=00	फीस .कमीशनर	
फीस कमीशनर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फरिक	
मिजान:-	9=00	मिजान:-	— Nil —

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner